अनुसूची 14—फारम सं0— 462

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक — ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख—सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0— 04/2013

अपीलार्थी — देवकला देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट — राज्य सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय सुपौल जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 721 दिनांक 31.5.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में मामला यह है कि पीपरा परियोजना (जिला सुपौल) में केन्द्र संख्या —18 दीनापट्टी केन्द्र का औचक निरीक्षण सी0डी0पी0ओ0 पीपरा ने दिनांक 19.1.2013 को 12:15 बजे किया गया। निरीक्षण के समय सेविका 40 बच्चो के साथ उपस्थित थी, पोषाहार पूर्णरूप से बना हुआ था, किन्तु केन्द्र की सहायिका अनुपस्थित थी।

सहायिका श्रीमती देवकला देवी को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 420/प्रो0 दिनांक 26.3.2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देश दिया गया, जिसमें उन्हें दिनांक 31.3.2013 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के कार्यालय वेश्म में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु तिथि निर्धारित किया गया। अपने स्पटीकरण में सहायिका ने बताया कि मैं दिनांक 18.1.2013 को रात्रि से ही गंभीर रूप से दस्त (डायरिया) से परेशान थी, सुबह अत्यधिक तबियत खराब होने के कारण पंचायत के मुखिया — ग्राम +पंचायत — दीनापट्टी से आवेदन स्वीकृत कराकर मोबाईल से इस

बात की सूचना महिला पर्यवेक्षिका पीपरा को देकर ईलाज हेतु स्थानीय डॉक्टर के पास चली गई, उन्होंने यह भी कहा है कि तबियत ज्यादा खराब हो जाने के कारण आकस्मिक अवकाश का आवेदन प्रश्नगत केन्द्र की सेविका एवं सी0डी0पी0ओ0 पीपरा कों नहीं दे पायी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने सहायिका द्वारा उपरोक्त अंकित बातों से स्पष्टीकरण से असहमति प्रकट करने हेतु कार्यालय ज्ञापांक 721 प्रो0 दिनांक 31.5.2013 द्वारा सहायिका को चयन मुक्ति आदेश निर्गत कर दिया गया।

इस न्यायालय में सहायिका श्रीमती देवकला देवी द्वारा समर्पित किए गए स्पष्टीकरण, अपीलार्थी के अधिवक्ता/ सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष रखा अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का चयन मुक्ति आदेश पूर्णतः नियम विरोधी है, यह आदेश वाद के तथ्यो एवं नियमों के विपरीत है। जल्दी बाजी में पारित आदेश है। उन्होंने तर्क में यह बताया कि 18. 1.2013 की रात्रि से ही सहायिका देवकला देवी गंभीर रूप से दस्त (डायरिया) से परेशान थी, अगली सुबह तबियत अत्यधिक खराब होने के कारण मुखिया ग्राम+पंचायत दीनापट्टी को अपना आवेदन देकर 19.1.203 की तिथि में (निरीक्षण तिथि) को स्वीकृत कराकर इसकी सूचना मोबाईल से महिला पर्यवेक्षिका पीपरा को दी थी, चूँकि सुबह में ज्यादा तबियत दस्त होने के फलस्वरूप इसकी सूचना मानसिक संतुलन अच्छी स्थिति में न रहने के कारण केन्द्र की सेविका व सी0डी0पी0ओ0 पीपरा का नहीं दे सकी। अपीलार्थी क अधिवक्ता ने दिनांक 19.1.2013 को प्रा0 स्वास्थय केन्द्र पीपरा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमारी को एवं डॉ0 वी0सी0 सिंह चिकित्सा पदाधिकारी पीपरा का चिकित्सा प्रमाण पत्र अवलोकन कराया जिसमें देवकला देवी को Loose motion- 4-8 times एवं दवाई के नाम अंकित है, अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में सुनवाई से पूर्व क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी सहरसा के न्यायालय से कार्यालय पत्रांक 405 दिनांक 31.5.2014 द्वारा केन्द्र संख्या – 18 दीनापट्टी का विस्तृत स्थलीय जाँच प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल से ही मांग किया गया था, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सपौल ने अपने पत्रांक 1644/प्रो0 दिनांक 14.8.2014 द्वारा भेजा गया है। उस पत्र में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने स्पष्ट तौर पर अंकित किए है कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– 18 दीनापट्टी का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 9.8.2014 को स्थलीय जाँच के क्रम में सेविका द्वारा बताया गया कि

निरीक्षण तिथि 19.1.2013 को सहायिका वास्तव में बीमार थी, एवं ईलाज कराने हेतु निजी नर्सिंग होम पीपरा गई हुई थी उक्त तिथि को भी सहायिका अपनी अनुपस्थिति के लिए मुखिया से छुट्टी आवेदन स्वीकृत कराकर केन्द्र पर दी थी, लेकिन परियोजना कार्यालय पीपरा में वह आवेदन उपलब्ध नहीं करा सकी थी। भौतिक जाँच में पाया गया निरीक्षण की तिथि 19.1.2013 को सहायिका देवकला देवी वास्तव में बीमार थी। यह पत्र भी अवलोकन कराया गया।

उपरोक्त अंकित तथ्यो विवेचनाओं के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि निम्न न्यायालय सुपौल का आदेश पूर्णतः न्यायोचित नहीं हैं जब यहायिका भयंकर दस्त (डॉक्टर के चिकित्सा प्रमाण पत्र में Loose motion . वह भी 4–8 times) प्रतिदिन अस्वस्थ है तो किस प्रकार केन्द्र पर आकर अपना कार्य कर पायेगी, दुसरी बात है, तबियत खराब होने की सूचना महिला पर्यवेक्षिका को दूरभास पर दी थी, एवं 19.1.2013 को अपना छुट्टी आवेदन स्थानीय पंचायत के मुखिया दीनापट्टी पंचायत को भी दी थी, वह इस काबिल नहीं थी, कि खुद चलकर छुट्टी का आवेदन सभी संबंधित महकमे को देती फिरती । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना C.W.J.C.No-1285/2010में पारित उद्धरण she could not be expected to move office to office or person to person for authorization of leave. Getting herself attended by the doctor was more important for her Application accepted by Mukhiya was good enough for her to go and consult the doctor .

यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुँची कि अगर कोई सेविका/ सहायिका बिना सुचना के भी एक दिन की अनुपस्थिति रहती है। तो चयन मुक्ति आदेश न्यायोचित नहीं है। C.W.J.C.NO- 317/014 में पारित आदेश उद्धरण इस प्रकार है।

One days absence of an employee from her duty without leave is not such a grave charge that it may entail disengagement from her service. There fore punishment awarded to the petitioner is apparently too harse and shocking

यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सहायिका तो छुट्टी का आवेदन मुखिया से स्वीकृत कराकर महिला पर्यवेक्षिका को दुरभाष पर भी देकर अपना ईलाज कराने हेतु गई थी,

फिर भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश पूर्णतः न्यायोचित नहीं है, बल्कि यूं कहे :– the punishment of termination there fore is not only harsh and excessive but also arbitrary per-se and violative of Arti –14 of the constitution of india. अतः यह न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 721/प्रो0 दिनांक 31.5.2013 को खंडित करते हुए पुनः आदेश निर्गत तिथि से सहायिका के पद पर चयन को बरकरार बनाये रखने का आदेश पारित करती है।
वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015
उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015
उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा